# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 21/2023 दायर तारीख 26.06.2023

**अनवान**

1. चांदी पुत्री मोहनलाल पत्नि गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा

.....प्रार्थीया

**बनाम**

1. नाबालिग अनिता पुत्री शंकरलाल संरक्षक जाति अहीर उम्र नाबालिग निवासी तिलस्वा हाल मुकाम बिजोलिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
2. श्रीमान तहसीलदार साहब एवम उप पंजीयक महोदय बिजोलिया जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादीगण

**उपस्थित** :– 1. श्री प्रदीप कुमार मीणा – अधिवक्ता वादी
2. श्री सुनील जोशी – अधिवक्ता प्रतिवादी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: निर्णय :–

दिनांक : 13 /08/2025

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम तिलस्वा की खाता सख्या 305 की आ0न0 349/1 रकबा 0.8094 हेक्टर आ0न0 845/352 रकबा 0.0405 हैक्टर किता 2 रकबा 0.8499 हेक्टर भूमि नाबालिग अनिता पुत्री शंकरलाल संरक्षक जाति अहीर के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त विवादग्रस्त भूमि पूर्व में मोहनलाल के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी मोहनलाल के जीवन काल में अपने पुत्र देबीलाल की मृत्यु हो गयी उसके एक लडका शंकरलाल था तथा मोहनलाल के पुत्री चांदी जो वादीया हैं जो मोहनलाल की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है उक्त भूमि मोहनलाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि मोहनलाल के पोत्र शंकरलाल के नाम पर दर्ज कर दी गयी जबकि मोहनलाल की पुत्री प्रार्थीया चांदी है। परन्तु शंकरलाल के कोई जायन्दा लडका लडकी पत्नि नही है उक्त भूमि मे वादीया के नाम पर दर्ज की जानी चाहिये थी । उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया का बरसो से कब्जा अधिकार चला आ रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने नाजायज मिली भगती कर शंकरलाल के कोई वारिस नहीं थे परन्तु फर्जी दस्तावेज रचित कर अनिता पुत्री शंकरलाल संरक्षक जरिये विरासत शंकरलाल के स्थान पर अंकित कर दिया गया है जबकि प्रतिवादी अनिता शंकरलाल की पुत्री नही होकर पप्पूलाल अहीर पिता किशनलाल अहीर निवासी बिजोलिया की पुत्री है अनिता, कान्ता से उत्पन्न संतान है कान्ता पप्पूलाल अहीर की पत्नि है शंकरलाल के कोई जीवित वारिस नही है इसलिये उक्त भूमि वादीया के नाम पर दर्ज किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है क्योकि प्रतिवादी नाबालिग है परन्तु उक्त भूमि को हडपने की बदनियती से अनिता को फर्जी दस्तावेजो के आधार पर शंकरलाल की पुत्री बताकर फर्जी नामान्तकरण खोला गया है जबकि प्रतिवादीया कान्ता द्वारा जन्म दिया गया है एवम पप्पूलाल अहीर की पुत्री है वर्तमान में पप्पूलाल अहीर उसके पिता के पास निवास कर रही है प0ह0 द्वारा बिना जांच पडताल किये एवम भूमि को हडपने की बदनियती से उक्त भूमि वादीया के नाम दर्ज होनी चाहिये थी उक्त भूमि प्रतिवादीया अनिता के नाम गलत दर्ज की गयी है जिसको खारिज किया जाकर वादीया के नाम पर दर्ज किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत अन्यथा असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे कोई सम्भव नही है। मृतक शंकरलाल वादीया चांदी बाई के पास ही निवास करता था क्योकि शंकरलाल के कोई जायन्दा वारिस नहीं थे उक्त भूमि को हडपने की बदनियती से तथाकथित अनिता को शंकरलाल की पुत्री बताकर फर्जी नामान्तकरण खोला गया है जबकि अनिता पप्पूलाल पिता किशन लाल अहीर निवासी बिजोलिया की पुत्री है। वादीया ने प्रतिवादी को दिनांक 21–3–2023 को कहा कि उक्त भूमि तेरे नाम पर गलत दर्ज हो गयी है पुनः वादीया के नाम पर दर्ज किया जावे परन्तु मना किये जाने पर वादीया को उक्त वादपत्र पेश करने की नोईयत पेदा हुयी है। तथा प्रतिवादीगण ने

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

नाजायज साठ गाठ कर नाबालिग अनिता पुत्री शंकरलाल संरक्षक दर्ज कर नामान्तकरण खोला गया है जबकि अनिता शंकरलाल की पुत्री नहीं है। उक्त विवादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीया का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि का वादीया के नाम पर दर्ज किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है। प्रतिवादीया का कभी भी उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा अधिकार नही रहा है। उक्त भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है।
उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीया के कब्जे अधिकार मे चली आ रही है प्रतिवादी का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुये भी वादीया के कब्जे काश्त मे प्रतिवादी व अन्य व्यक्ति दखलन्दाजी कर रहे है, रोक टोक कर रहे है उक्त भूमि खुर्द बुर्द रहन विकय करने पर आमादा है विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है अन्यथा वादीया को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे कतई सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि ग्राम तिलस्वा प0ह0 की खाता सख्या 305 की आ०न0 349ध्1 रकबा 0.8094 हेक्टर आ0न0 845ध्352 रकबा 0.0405 हेक्टर किता 2 रकबा 0.8499 हेक्टर भूमि से विपक्षीया प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि मे विपक्षीया दखलन्दाजी कर रही है, रोक टोक कर रही है प्रार्थीया को काश्त नही करने दे रही है तथा विपक्षीया उक्त भूमि को खुर्द बुर्द रहन विक्रय करने पर आमादा है जिसको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीया के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे ।

**वादीयां ने अनुतोष चाहा कि :–**

(अ) ग्राम तिलस्वा की खाता सख्या 305 की आ0न0 349/1 रकबा 0.8094 हेक्टर आ0न0 845/352 रकबा 0.0405 हेक्टर किता 2 रकबा 0.8499 हेक्टर भूमि से प्रतिवादीया का नाम हटाया जाकर वादीया को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीया का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें। वादीया के कब्जे काश्त की भूमि मे प्रतिवादीगण वादीयाके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, रोक टोक नहीं करें, विपक्षीगण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द रहन विक्रय करने पर आमादा है जिसको जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोके जाने की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीग की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सुनिल जोशी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया एवं जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावे में अंकित किया कि :–

वादपत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। चरण संख्या 2 में वर्णित मोहनलाल का पारिवारिक सजरा गलत हैं देबीलाल पुत्र शंकरलाल फोत को लाओलाद बताया है जबकि शंकरलाल की पुत्री अनिता हैं जो उसकी एकमात्र विधिक वारिसान है।

वादपत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। यह है कि चरण संख्या 1 में वर्णित भुमि मोहनलाल के नाम पर दर्ज होना बताया है जबकि भुमि कभी मोहनलाल के नाम पर दर्ज ही नही थी मोहनलाल के जीवनकाल में अपने पुत्र देवीलाल की मृत्यु होने सबधी कथन भी गलत हैं क्योकि सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 4/05/08 हैं जबकि देवीलाल की मृत्यु 13/11/08 की होना बताया गया हैं तथापि चांदी वर्ष 2001 से ही अन्य जाति के युवक के साथ परिवार की ईच्छा के बगेर तथा उनकी अनुमति के बिना विवाह कर लिया ओर उसके बाद परिवार से वादीया का कोई लेना देना नही रखा उक्त भुमि कभी मोहनलाल के नाम पर दर्ज ही नही थी ओर इस भुमि के विधिक स्वामी प्रारम्भ से ही शंकर लाल ही थे ओर उसके बाद उसकी एकमात्र विधिक वारिसान प्रतिवादी हैं प्रतिवादी शंकरलाल की ही पुत्री है अनिता का जन्म सन 2013 में हुआ तथा उसके जन्म प्रमाण पत्र में पिता के रूप में शंकरलाल का ही नाम वर्णित हैं। अनिता माता कान्ता एवं पिता शंकरलाल की ही जाईन्दा एकमात्र औलाद है जो उक्त भुमि की विधिक वारिस भी है

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रतिवादी के नाम पर खोला गया नामान्तकरण सही व वेध हैं तथा वादीया द्वारा लगाये गये आक्षेप गलत ओर निराधार है। नामान्तरकरण आवश्यक राजकीय प्रमाण पत्रो ओर निर्धारित वैधानिक कार्यावाही से खोला गया। उक्त भुमि पर वादीया का कोई अधिकार नही है इसलिये वादीया को किसी प्रकार से कोई असहनीय क्षति होने की संभावना नही है।

वादपत्र की चरण संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार हैं मृतक शंकरलाल की पुत्री होने के नाते नामान्तकरण खोला गया है और मृतक शंकरलाल के वादीया के पास निवास करने की बात गलत ओर निराधार हैं तथा किसी के पास जाने मात्र से भी विधिक वारिसान नही बन सकता हैं नामान्तकरण वेध रूप से खोला गया है।

वादपत्र की चरण संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार हैं वादीया ने दिनांक 21/03/2023 को इस प्रकार की कोई बात नही कहा ओर न ही वादीया को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है।

वादपत्र की चरण संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार हैं क्योकि संपुर्ण वादपत्र में प्रार्थीया कोई है ही नही जिसका वादीया संबोधित किया गया हैं उसके लिये कोई अनुतोष नहीं मांगा गया हैं इसलिये वादपत्र पोषणीय नही हैं ओर वादीया को भी काश्तकार घोषित करने के लिये विधिक अधिकार नही हैं क्योकि प्रतिवादी भुमि के एकमात्र विधिक वारिसान है।

वादपत्र की चरण संख्या 8 गलत होकर अस्वीकार हैं विवादग्रस्त भुमि पर प्रार्थीया जो कि वाद पत्र में कोई हैं ही नही उसका कोई अधिकार नही है वेध अधिकार प्रतिवादी का है जो उक्त भुमि को उन्नत आबाद किया ओर प्रतिवादी के पिता द्वारा ही फसल काश्त की गयी उसके निधन के बाद प्रतिवादी के नाम पर कानुनन नामान्तकरण खोला गया जो कि विधिक है प्रार्थीया का कोई हक अधिकार इस भुमि पर नही है।

वादपत्र की चरण संख्या 9, 10 गलत होकर अस्वीकार हैं प्रार्थीया का वाद हेतु दिनांक 21/03/23 को उत्पन्न ही नही हुआ है न ही प्राईमाफेशी केस ओर सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

वादीया द्वारा झुठे तथ्यो का वादपत्र पेश किया है जो अवश्य ही खारिज होगा तथा वादीया किसी प्रकार की अनुतोष की हकदार नही है।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने जमाबन्दी ग्राम तिलस्वां की संवत् 2075 से 2078 पेश की जो EX-1 हैं, शंकरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश की जो EX-2 हैं, चांदी देवी का आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की जो EX-3 हैं, गत जमाबन्दी ग्राम तिलस्वां की संवत् 2067 से 2070 पेश की जो EX-4 हैं,

वादपत्र व जवाबदावा के तथ्यो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई ।

**तनकी नं0 1** – आया की ग्राम तिलस्वां की खाता नं0 305 की आराजी नं0 309/1 रकबा 0.8094 है0, आराजी नं0 845/352 रकबा 0.0405 है0 किता 2 रकबा 0.8499 है0 भूमि में प्रतिवादीया का नाम हटाया जाकर वादीया को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। ..... जिम्मे वादीगण

**तनकी नं0 2** – आया कि वादीया मोहनलाल की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस हैं। .....जिम्मे वादीगण

**तनकी नं0 3** – आया कि प्रतिवादीया अनिता, शंकरलाल की पुत्री नहीं है। .....जिम्मे वादीगण

**तनकी नं0 4** – आया कि वादीया स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हैं। .....जिम्मे वादीगण

**तनकी नं0 5** – आया कि नामान्तरण अवैध खोला गया हैं। .....जिम्मे वादीगण

**तनकी नं0 6** – आया कि प्रतिवादीया मृतक शंकरलाल की पुत्री होने से नामान्तरण सही खोला जाकर खातेदारी दी गई। .....जिम्मे प्रतिवादीया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

तनकी नं0 7 – आया कि प्रतिवादीया उक्त भूमि की वैध स्वामी हैं।

तनकी नं0 8 – आया अनुतोष क्या होगा ?

.....जिम्मे प्रतिवादीया

वादी द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी **डी डब्ल्यू 1** कांता पिता नोला जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वां को साक्ष्य में प्रस्तुत कर बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

**डी डब्ल्यू 1** कांता पिता नोला जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वाां ने अपने बयान में लिखाया कि ये मेरी पुत्री अनिता की प्राकृतिक संरक्षक हैं तथा ग्राम तिलस्वां में आराजी नं0 349/1, 845/352 कुल किता 2 रकबा 0.8499 है0 भूमि मुझा प्रार्थीया की पुत्री के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड हैं जो डी 1 हैं। जो नाबालिग अनिता पुत्री शंकरलाल के नाम पर हैं शंकरलाल मेरे पति हैं तथा वादी द्वारा गलत तथ्यों पर वादपत्र पेश किया जो खारीज योग्य हैं। शंकरलाल की मृत्यु के पश्चात अनिता की एकमात्र वारिस में ही हूं। जो सही हैं। अनिता मेरी व शंकरलाल की पुत्री हैं तथा में उसकी माता होने के कारण विधिक वारीसान हूं वादीया का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकता क्योकि वादीया अनिता के रक्त संबंध में नहीं हैं उक्त भूमि प्रतिवादीया की है जो सही व सत्य हैं। वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी व बहस पर मनन किया।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष चाहा गया जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे अनुसार वादी के वादपत्र को खारिज करवाना चाहा गया।

प्रस्तुत वादपत्र वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात, जवाब दावे एवं तनकीयात, बयान के आधार पर अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः वादपत्र वादीगण अर्न्तगत धारा **88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता हैं। डिक्री मूर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 13/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

मूल वाद में डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

## बईजलास श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

**राजस्व प्रकरण संख्या 21/2023** **दायर तारीख 26.06.2023**

**अनवान**

1. चांदी पुत्री मोहनलाल पत्नि गोपाल जाति अहीर उम्र बालिग निवासी तिलस्वा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा

.....डिक्रीदार

**बनाम**

1. नाबालिग अनिता पुत्री शंकरलाल संरक्षक जाति अहीर उम्र नाबालिग निवासी तिलस्वा हाल मुकाम बिजोलिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
2. श्रीमान तहसीलदार साहब एवम उप पंजीयक महोदय बिजोलिया जिला भीलवाडा

..... मदयूनान

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 13 /08/2025

डिक्री दिनांक 13 /08 /2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री प्रदीप कुमार मीणा अधिवक्ता वादी एवं श्री सुनील जोशी विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादीगण अर्न्तगत धारा **88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil . .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13. माह 08 वर्ष 2025 को जारी की गयी।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदया<br>स्टाम्प वकीलात नामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील ( )<br>खर्चा गवाह<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुनफरिक<br>मीजान | | | स्टाम्प अरजीदया<br>स्टाम्प वकीलात नामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील ( )<br>खर्चा गवाह<br>फीस कमीश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुनफरिक<br>मीजान | | |

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा